

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 28-11-2024

विषय सूची

“बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान

शुक्र मिशन (Venus Mission) “शुक्रयान (Shukrayaan)” को मंजूरी

भारत ने विकासशील देशों को प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में सहायता के लिए कोष का प्रस्ताव रखा

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण (NLRM) परियोजना

संक्षिप्त समाचार

इजराइल-लेबनान युद्धविराम और UNSC संकल्प 1701

भारतीय रसायन परिषद ने 2024 OPCW-n हेग पुरस्कार जीता

ई-दाखिल (E-Daakhil)

ओपेक+(OPEC+)

खुला बाजार संचालन (OMOs)

राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ लिमिटेड (NAFSCOB)

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024

नैनोजाइम्स (Nanozymes)

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

सबल 20 ड्रोन (Sabal 20 Drones)

राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार (President's Colours Award)

"बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान

सन्दर्भ

- देश भर में बाल विवाह उन्मूलन और युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राष्ट्रीय अभियान "बाल विवाह मुक्त भारत" शुरू किया।

परिचय

- केंद्रित दृष्टिकोण:** अभियान बाल विवाह की उच्च दर वाले सात राज्यों को प्राथमिकता देगा: पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश।
- सामुदायिक जुड़ाव:** अभियान में बाल विवाह के प्रति सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोण को परिवर्तन करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियाँ शामिल होंगी। 2029 तक बाल विवाह दर को 5% से कम करने के उद्देश्य से कार्य योजना शुरू की गई।
- कानूनी सशक्तिकरण:** अभियान बाल विवाह को रोकने और दंडित करने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा, जिसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करना भी शामिल है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म:** एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने और कानूनी उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

भारत में बाल विवाह की स्थिति

- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाल विवाह 2005-06 में 47.4% से घटकर 2019-21 में 23.3% हो गया है।
 - इस गिरावट का श्रेय 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (PCMA) के कार्यान्वयन और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान (बाल विवाह मुक्त भारत अभियान) जैसे विभिन्न जागरूकता अभियानों को दिया जाता है।
- NFHS-5 आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह दर में काफी कमी आई है, जो 2005-06 में 47.4% से बढ़कर 2015-16 में 26.8% हो गई है।
- समग्र गिरावट के बावजूद, पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में बाल विवाह की उच्च दर की रिपोर्ट करते हैं।

भारत में बाल विवाह के पीछे प्रमुख कारण

- गरीबी और आर्थिक दबाव:** आर्थिक रूप से वंचित परिस्थितियों में रहने वाले परिवार प्रायः शादी को वित्तीय भार कम करने के साधन के रूप में देखते हैं।
 - बेटियों की जल्दी शादी करने से परिवार पर आर्थिक दबाव कम हो सकता है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि एक बच्चे का पेट भरना कम हो जाता है और कभी-कभी इसमें दहेज भी शामिल हो सकता है जो तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करता है।
- सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड:** कई समुदायों में, कम उम्र में विवाह को एक संस्कार और पारिवारिक सम्मान को बनाए रखने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
 - ये गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं बाल विवाह के प्रति दृष्टिकोण को बदलना चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

- **लैंगिक असमानता और पितृसत्ता:** पितृसत्तात्मक मूल्य और लैंगिक असमानता बाल विवाह के प्रसार में योगदान करते हैं।
 - लड़कियों को प्रायः भार के रूप में देखा जाता है और उनकी प्राथमिक भूमिका पत्नी एवं माँ की मानी जाती है।
 - यह शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के उनके अवसरों को सीमित कर देता है, जिससे कम उम्र में विवाह एक सामान्य परिणाम बन जाता है।
- **शिक्षा का अभाव:** शैक्षिक अवसरों की कमी के कारण लड़कियाँ शीघ्र विवाह की चपेट में आ जाती हैं, परिवार स्कूली शिक्षा के बजाय विवाह को प्राथमिकता दे सकते हैं।
 - शिक्षित लड़कियों की शादी में देरी होने की संभावना अधिक होती है और उनके भविष्य के लिए बेहतर संभावनाएं होती हैं।
- **यौन उत्पीड़न का भय:** कुछ क्षेत्रों में, यौन उत्पीड़न का भय और लड़की की शुद्धता की रक्षा करने की इच्छा के कारण परिवार कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं।
 - यह सुरक्षात्मक उपाय प्रायः गलत होता है और इसके परिणामस्वरूप लड़की के अधिकारों एवं स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है।
- **कमजोर कानून प्रवर्तन:** बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानूनों के अस्तित्व के बावजूद, कई क्षेत्रों में प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है।
 - भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपर्याप्त संसाधन बाल विवाह की निरंतर प्रथा में योगदान करते हैं।
 - इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों के कार्यान्वयन को मजबूत करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **महामारी-प्रेरित आर्थिक कठिनाई:** कोविड-19 महामारी ने कई परिवारों के लिए आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ा दिया है, जिससे बाल विवाह में वृद्धि हुई है।
 - महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव ने कुछ परिवारों को इससे निपटने के लिए शीघ्र विवाह का सहारा लेने के लिए मजबूर किया।

संबंधित पहल

- **कानूनी प्रावधान: बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006:** यह भारत में बाल विवाह को संबोधित करने वाला प्राथमिक कानून है, जिसने 1929 के पहले के बाल विवाह निरोधक अधिनियम की जगह ले ली है।
 - **विवाह की न्यूनतम आयु:** PCMA महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित करता है।
 - **सज़ा:** बाल विवाह करने, संचालित करने या निर्देशित करने वालों को दो वर्ष तक की कठोर सज़ा और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
 - **बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPOs):** अधिनियम बाल विवाह को रोकने, जागरूक करने और कानून के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए CMPOs की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है।

- **उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण:** भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि PCMA को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह कहते हुए कि बाल विवाह नाबालिगों की अपने जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है।
 - न्यायालय ने समुदाय-संचालित दृष्टिकोण और बहु-क्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
- बाल विवाह मुक्त भारत अभियान (बाल विवाह मुक्त भारत अभियान) का लक्ष्य 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से कम करना है।
 - यह पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश जैसे उच्च भार वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां राष्ट्रीय औसत की तुलना में बाल विवाह की दर अधिक है।
 - यह बहुआयामी दृष्टिकोण पर बल देता है, जिसमें शिक्षा निरंतरता, कौशल विकास; स्वास्थ्य तथा पोषण; और सुरक्षा एवं संरक्षा आदि।
 - बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जागरूकता बढ़ाने, मामलों की रिपोर्ट करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

[Source: TH](#)



शुक्र मिशन (Venus Mission) "शुक्रयान(Shukrayaan)" को मंजूरी

समाचार में

- भारत सरकार ने इसरो के शुक्र परिक्रमा उपग्रह मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम शुक्रयान है।

शुक्रयान मिशन (शुक्र परिक्रमा उपग्रह)

- **लॉन्च विवरण:** मार्च 2028 में लॉन्च करने की तैयारी है।
 - मिशन की अनुमानित लागत 1,236 करोड़ रुपये है।
 - अंतरिक्ष यान को अण्डाकार पार्किंग कक्षा (EPO) में स्थापित करने के लिए LVM-3 प्रक्षेपण यान की पहचान की गई है।
- **उद्देश्य:**
 - **वायुमंडलीय अध्ययन:** शुक्र के घने, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण की संरचना का विश्लेषण करें। अत्यधिक ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्रह की जलवायु पर इसके प्रभाव का अध्ययन करें।
 - **सतह मानचित्रण:** ग्रह की सतह का मानचित्रण करने के लिए उन्नत रडार तकनीक का उपयोग करें, जिससे छिपी हुई भूवैज्ञानिक विशेषताओं का पता चलता है।
 - **आयनोस्फेरिक अध्ययन:** सौर विकिरण और सौर हवा के साथ इसकी बातचीत को समझने के लिए, आयनमंडल सहित शुक्र के ऊपरी वायुमंडल का अन्वेषण करें।
- **वैज्ञानिक पेलोड:**
 - **सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR):** घने बादलों को भेदने और सतह की विशेषताओं को मैप करने के लिए।
 - **इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर:** वायुमंडल और सतह की संरचना का अध्ययन करने के लिए।
 - **पराबैंगनी स्पेक्ट्रोमीटर:** ऊपरी वायुमंडल और आयनमंडल का विश्लेषण करने के लिए।

मिशन की चुनौतियाँ

- **चरम पर्यावरण:** शुक्र का कठोर वातावरण, जो उच्च तापमान और अम्लीय वातावरण की विशेषता है, अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा संचालन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **तकनीकी जटिलता:** मिशन को अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सटीक नेविगेशन और नियंत्रण की आवश्यकता है।
- **डेटा ट्रांसमिशन:** लंबी दूरी पर अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच विश्वसनीय संचार आवश्यक है।

शुक्र ग्रह के बारे में तथ्य

- शुक्र, सूर्य से दूसरा ग्रह है, जिसे प्रायः पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है लेकिन यह एक कठोर और नारकीय दुनिया है।
- शुक्र का वातावरण अविश्वसनीय रूप से सघन है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह घना वातावरण सूर्य की गर्मी को रोक लेता है, जिससे एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न होता है।
- शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका नाम प्रेम की देवी के नाम पर रखा गया है।
- शुक्र अपनी धुरी पर अधिकांश अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है, इस घटना को प्रतिगामी घूर्णन के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य पश्चिम में उगता है और शुक्र ग्रह पर पूर्व में अस्त होता है।

- मेरिनर 2, वेनेरा और मैगलन सहित कई अंतरिक्ष मिशनों ने शुक्र का अध्ययन किया है, जिससे इसके वायुमंडल, सतह और भूविज्ञान में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है।
- नासा के VERITAS और DAVINCI+ जैसे भविष्य के मिशनों का लक्ष्य शुक्र का और अधिक अन्वेषण करना है।

Source: DD News

भारत ने विकासशील देशों को प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में सहायता के लिए कोष का प्रस्ताव रखा

सन्दर्भ

- भारत ने 5वीं अंतरसरकारी वार्ता समिति (INC) में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए एक समर्पित बहुपक्षीय कोष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

परिचय

- INC को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रशासित किया जाता है, वार्ता 1 दिसंबर को समाप्त होने वाली है।
- कोरिया गणराज्य के 170 से अधिक देश समुद्री प्रदूषण सहित प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि पर बातचीत कर रहे हैं।
- **उद्देश्य:** संधि का लक्ष्य है कि देश प्लास्टिक और प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन में कटौती करें।
- बातचीत इस बात पर है कि क्या रसायनों के कुछ वर्गों और प्लास्टिक उत्पादन पर बाध्यकारी सीमा पर सहमति व्यक्त की जाए, या कचरा संग्रहण एवं रीसाइक्लिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से वित्तपोषण के पैकेज पर समझौता किया जाए।

पृष्ठभूमि

- 2022 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया।
 - 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक वैश्विक संधि को अपनाने के लिए मतदान किया - एक त्वरित समयसीमा पर सहमति व्यक्त की ताकि संधि को 2025 तक जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
- इसके परिणामस्वरूप अंतर सरकारी वार्ता समिति (INC) का निर्माण हुआ, जिसे 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता विकसित करने का कार्य सौंपा गया।
- 2022 से, INC ने उरुग्वे, फ्रांस, कनाडा और केन्या में चार सत्र आयोजित किए हैं।

नया बहुपक्षीय कोष

- **उद्देश्य:** यह कोष विकासशील देशों को पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में बदलाव को आसान बनाने के लिए अनुदान (ऋण नहीं) प्रदान करेगा।
- **शासन:** यह एक विधिवत गठित सहायक निकाय द्वारा शासित होगा।
 - इसमें विकसित और विकासशील देशों का समान प्रतिनिधित्व होगा।
 - यह कोष के संचालन की निगरानी करेगा, जिसमें नीतियां बनाना, संसाधनों का प्रबंधन करना और धन का उचित वितरण सुनिश्चित करना शामिल है।
 - सहायक संस्था प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य भी संभालेगी।

- **अनुदान आधारित:** यह कोष विकासशील देशों को अनुदान-आधारित वित्त प्रदान करेगा, और विकसित देशों को समय-समय पर कोष की भरपाई करना अनिवार्य होगा।
- **निजी वित्तपोषण:** इसे सहमत तौर-तरीकों के आधार पर निजी कोष स्वीकार करने की लचीलापन भी प्रदान करना चाहिए।

निष्कर्ष

- वैश्विक प्लास्टिक संधि सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इसे केवल प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से आगे बढ़ने की जरूरत है।
- अब समय आ गया है कि अनावश्यक प्लास्टिक को समाप्त किया जाए, उत्पादों को फिर से डिज़ाइन किया जाए ताकि उनका पुनः उपयोग, रीसाइकिल, मरम्मत और पुनर्चक्रण किया जा सके, गैर-प्लास्टिक विकल्पों पर स्विच किया जा सके तथा ध्वनि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रणालियों को सुदृढ़ किया जा सके।

Source: TH

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण (NLRM) परियोजना

सन्दर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में समिति ने कई राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

परिचय

- भूस्खलन जीवन और संपत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करता है, विशेषकर भारत के पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में।
- प्रस्ताव में 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से वित्त पोषण शामिल है।
 - NDMF विशेष रूप से शमन परियोजनाओं के उद्देश्य से है, जिसका उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव को कम करना है। इसकी देखरेख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा की जाती है।
- एक अन्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) की वित्तपोषण विंडो से तैयारी और क्षमता निर्माण के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए है।

भारत में हाल की घटनाएँ

- मौसम की चरम स्थितियों के कारण भूस्खलन की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है।
- भारत को 2024 में पहले नौ महीनों में 93% दिन - 274 दिनों में से 255 - चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें 3,238 लोगों की जान चली गई, 2.35 लाख से अधिक घर/इमारतें नष्ट हो गईं और 3.2 मिलियन हेक्टेयर (mha) भूमि में फसलें प्रभावित हुईं।

भूस्खलन

- भूस्खलन भूमि के ढलान वाले हिस्से में चट्टान, मिट्टी की सामग्री और मलबे के अचानक खिसकने की एक भूवैज्ञानिक घटना है।
- यह आंदोलन विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों से शुरू हो सकता है।
 - तीव्र बारिश, गंभीर भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधि या निर्माण, वनों की कटाई, या फसल पैटर्न में बदलाव जैसी मानवीय गतिविधियाँ भूस्खलन को ट्रिगर कर सकती हैं।

क्या भारत में भूस्खलन का जोखिम है?

- भारत में अपनी विवर्तनिक स्थिति के कारण भूस्खलन का अत्यधिक खतरा है।
- भारतीय भूभाग का 5 सेमी/वर्ष की दर से उत्तर की ओर खिसकना तनाव उत्पन्न करता है जिसके लिए भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा जारी भारत के भूस्खलन एटलस में देश के कुछ सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।
 - भारत दुनिया के शीर्ष पांच भूस्खलन-प्रवण देशों में से एक है।
 - बर्फ से ढके क्षेत्रों के अतिरिक्त, भारत का लगभग 12.6% हिस्सा इसकी चपेट में है।
 - उनमें से लगभग 66.5% उत्तर-पश्चिमी हिमालय में हैं, 18.8% उत्तर-पूर्वी हिमालय में हैं और लगभग 14.7% पश्चिमी घाट क्षेत्र में हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (भारत के कुल भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का लगभग 50% शामिल है)
- हिमालय के किनारे स्थित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र।
- पश्चिमी घाट के किनारे स्थित महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र।
- पूर्वी घाट के साथ आंध्र प्रदेश में अरकू क्षेत्र।



भारत द्वारा उठाए गए कदम

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 भूस्खलन सहित विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक व्यापक कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।

- **भूस्खलन जोखिम क्षेत्र मानचित्र (LHQM):** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जोखिम क्षेत्र मानचित्र विकसित किए हैं। ये मानचित्र सुरक्षित भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा तैयारियों की योजना बनाने में सहायता करते हैं।
- राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019) में भूस्खलन आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि खतरा मानचित्रण, निगरानी एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को क्षमता निर्माण एवं अन्य सहायता प्रदान कर रहा है।
- मौसम की बेहतर भविष्यवाणी की दिशा में प्रयास किये गये हैं। जैसे संयोजन भविष्यवाणी प्रणाली। इससे भूस्खलन जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

- जबकि भूस्खलन एक महत्वपूर्ण चुनौती है, सक्रिय उपाय उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं।
- अनुसंधान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और सतत भूमि-उपयोग प्रथाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
- ऐसा करके, हम भूस्खलन के प्रभाव को कम कर सकते हैं और कमजोर समुदायों की रक्षा कर सकते हैं।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

इज़राइल-लेबनान युद्धविराम और UNSC संकल्प 1701

समाचार में

- इज़राइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा 13 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इज़राइल और लेबनान ने युद्धविराम में प्रवेश किया।

वर्तमान युद्धविराम प्रस्ताव के बारे में

- प्रस्ताव संकल्प 1701 का पालन करता है और 60 दिनों के अंदर शत्रुता समाप्त करने का आह्वान करता है।
 - हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल-लेबनान सीमा से 40 किलोमीटर दूर पीछे हटेंगे।
 - अक्टूबर 2023 में इजरायली सेना के लेबनानी कब्जे वाले क्षेत्र से हटने की उम्मीद है।
 - लेबनान संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों, लेबनानी सेना और एक बहुराष्ट्रीय समिति की निगरानी में, लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह की गतिविधियों की निगरानी करेगा।
- **उद्देश्य:** युद्धविराम का उद्देश्य शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त करना है, जिसमें यह सुनिश्चित करना है कि हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी संगठन अब इजरायल की सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न न करें।
 - फ़िलिस्तीन में इज़राइल के हमले के बाद, अक्टूबर 2023 से इज़राइल और लेबनान के बीच संयुक्त राष्ट्र-सीमांकित ब्लू लाइन पर शत्रुता बढ़ गई थी।

संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1701

- इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच स्थायी युद्धविराम और एक बफर ज़ोन के निर्माण का आह्वान किया गया था।
- इसने दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की मांग की।
- लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के शांति सैनिकों को स्थिति की निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया था, और संकल्प का उद्देश्य शत्रुता की पुनर्स्थापना से बचने के लिए दीर्घकालिक समाधान करना था।

Source: IE

भारतीय रसायन परिषद ने 2024 OPCW-द हेग पुरस्कार जीता

सन्दर्भ

- भारतीय रसायन परिषद (ICC) ने 2024 रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) द हेग पुरस्कार जीता है।
 - यह पहली बार है कि यह पुरस्कार किसी रासायनिक उद्योग निकाय को दिया गया है।

परिचय

- 2013 में, OPCW को रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के व्यापक प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- इस उपलब्धि की विरासत को संरक्षित करने के लिए, OPCW ने 2014 में हेग नगर पालिका के सहयोग से OPCW-द हेग अवार्ड' की स्थापना की।
- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है जो रासायनिक हथियार सम्मेलन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC)

- यह 1997 में लागू हुआ और वर्तमान में इसमें 193 राज्य पार्टियाँ हैं।
- हेग में इसका सचिवालय, कार्यान्वयन निकाय है।
- CWC रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग के अनुसंधान और विकास सहित रासायनिक हथियारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- भारत इस कन्वेंशन का मूल हस्ताक्षरकर्ता है।
 - राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार कन्वेंशन (NACWC) भारत में कन्वेंशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरण है।

भारतीय रासायनिक परिषद (ICC)

- इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, यह भारत में रासायनिक उद्योग के विकास और प्रचार के लिए समर्पित है।
- ICC भारतीय रासायनिक उद्योग के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है जिसका मूल्य 220 बिलियन डॉलर है।
- यह पुरस्कार रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, कन्वेंशन के अनुपालन और भारत में उद्योग-व्यापी सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाने में ICC द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करता है।

Source: PIB

ई-दाखिल(E-Daakhil)

सन्दर्भ

- उपभोक्ता मामले विभाग ने देश भर में ई-दाखिल की शुरुआत पूरी कर ली है।

परिचय

- ई-दाखिल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे उपभोक्ता दुःख निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए संबंधित उपभोक्ता फोरम तक पहुंचने का एक कुशल तरीका प्रदान करता है।
- ई-दाखिल पोर्टल पहली बार 2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग:

- यह एक अर्ध-न्यायिक आयोग है जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था।
- आयोग का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
- यह उपभोक्ता विवादों का सस्ता, त्वरित और संक्षिप्त समाधान प्रदान करता है।

Source: PIB

ओपेक+(OPEC+)

समाचार में

- रिपोर्टों से पता चलता है कि ओपेक+ आपूर्ति को सीमित रखने और कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से तेल उत्पादन बढ़ाने में देरी कर सकता है।

तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

- भू-राजनीतिक तनाव:** भू-राजनीतिक घटनाएँ, जैसे कि मध्य पूर्व या पूर्वी यूरोप में संघर्ष, तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकती हैं और कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न कर सकती हैं।
 - इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच हालिया युद्धविराम ने भू-राजनीतिक तनाव को अस्थायी रूप से कम कर दिया है, जिससे संभावित रूप से तेल की कीमतों में थोड़ी कमी आई है।
- वैश्विक आर्थिक आउटलुक:** वैश्विक आर्थिक आउटलुक, जिसमें आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और ब्याज दरें जैसे कारक शामिल हैं, तेल की मांग को प्रभावित कर सकते हैं।
- इन्वेंट्री स्तर:** यदि इन्वेंट्री कम है, तो आपूर्ति की कमी के बारे में चिंताओं के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत, उच्च इन्वेंट्री स्तर कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डाल सकता है।

OPEC+ के बारे में

- संक्षिप्त विवरण:** यह तेल उत्पादक देशों का एक गठबंधन है जिसमें पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) के सदस्य और कई गैर-ओपेक देश शामिल हैं। OPEC और 10 गैर-ओपेक तेल उत्पादक देशों के बीच साझेदारी।
- स्थापना:** 1960 में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा।

- मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया.
- **सदस्य:**
 - **संस्थापक सदस्य:** इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला।
 - **अतिरिक्त सदस्य:** अल्जीरिया, कांगो, इकेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात।
 - **ओपेक+ के गैर-ओपेक सदस्य:** रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मलेशिया, ओमान, दक्षिण सूडान और सूडान।
- **ओपेक+ का महत्व:** वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 40% नियंत्रित करता है।

Source: LM

खुला बाज़ार संचालन (OMOs)

समाचार में

- जैसे-जैसे बैंकिंग में तरलता की कमी बढ़ती जा रही है, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को खुले बाजार संचालन (OMOs) का सहारा लेना पड़ सकता है।
 - बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का तात्पर्य उधार और निवेश के लिए उपलब्ध धन की कमी से है। इससे आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता में बाधा आ सकती है।

OMOs के बारे में

- OMOs में धन आपूर्ति और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है।
- जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है, तो वह बैंकिंग प्रणाली में पैसा डालता है।
 - तरलता बढ़ने से ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे उधार लेने और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- संतुलित मौद्रिक नीति प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए OMOs का उपयोग प्रायः अन्य मौद्रिक नीति उपकरणों, जैसे रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात के संयोजन में किया जाता है।
- OMOs सीधे मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और विनिमय दरों जैसे कारकों को प्रभावित करते हैं।

परिवर्तनीय दर रेपो (VRRs) की भूमिका

- VRRs एक अल्पकालिक तरलता उपकरण है जिसका उपयोग RBI बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने के लिए करता है। हालांकि वे अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे लगातार चलनिधि घाटे को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।

Source: BS

राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ लिमिटेड (NAFSCOB)

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ लिमिटेड (NAFSCOB) के हीरक जयंती समारोह में भाग लिया।

NAFSCOB के बारे में

- इसकी स्थापना 1964 में राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के संचालन को सुविधाजनक बनाने और सहकारी ऋण विकसित करने के लिए की गई थी।
- **कार्यात्मक शाखाएँ:** योजना, अनुसंधान और विकास (PRD)।
 - कंप्यूटर सेवा प्रभाग (CSD)।
- **NAFSCOB के उद्देश्य:** सदस्य बैंकों को सहकारी ऋण, बैंकिंग और संबद्ध मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना।
 - सदस्य बैंकों के हितों को उनकी सभी गतिविधियों में बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना तथा उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करना।
 - सहकारी ऋण विकास के लिए भारत सरकार, RBI, राज्य सरकारों, NABARD और अन्य वित्तपोषण संस्थानों जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ समन्वय तथा संपर्क स्थापित करना।
 - सदस्य बैंकों और उनके संगठनों को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना।
 - विचारों को साझा करने और बेहतर नीतिगत निर्णयों में योगदान देने के लिए सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएँ एवं बैठकें आयोजित करना।

Source: BS

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024

सन्दर्भ

- नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 (NRI 2024) रिपोर्ट के अनुसार भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है।

परिचय

- रिपोर्ट वाशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित की गई है।
- रिपोर्ट 133 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क-आधारित रेडीनेस परिदृश्य को दर्शाती है।
- यह चार अलग-अलग स्तंभों में उनके प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंक करता है: प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव, कुल 54 चर को कवर करते हुए।
- अमेरिका लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, उसके बाद सिंगापुर और फिनलैंड का स्थान रहा।
- चीन 17वें स्थान पर पहुंच गया और NRI के शीर्ष 20 में एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था थी।
- भारत 11 रैंक ऊपर चढ़कर NRI 2024 में 49वां स्थान प्राप्त किया।

Source: PIB

नैनोजाइम्स(Nanozymes)

समाचार में

- CSIR-केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (CLRI) के अनुसंधानकर्ता जैवपदार्थों के रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में नैनोजाइम्स के उपयोग की खोज कर रहे हैं।

नैनोजाइम्स

- नैनोजाइम प्राकृतिक एंजाइमों के उत्प्रेरक गुणों की नकल करने के लिए डिज़ाइन किए गए नैनोमटेरियल हैं।
- वे अपने जैविक समकक्षों की तुलना में कई लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें बढ़ी हुई स्थिरता, लागत-प्रभावशीलता और ट्यूनेबल गुण शामिल हैं।

- 2007 में हॉर्सरिडिश पेरॉक्सीडेज जैसी गतिविधि वाले फेरोमैग्नेटिक नैनोपार्टिकल्स की खोज के बाद से नैनोजाइम ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।
- **नैनोजाइम के अनुप्रयोग:** नैनोजाइम का उपयोग कई क्षेत्रों में तेजी से किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं:
 - **बायोसैंसिंग:** जैविक अणुओं का पता लगाने के लिए।
 - **पर्यावरण संरक्षण:** प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट उपचार के लिए।
 - **रोग उपचार:** चिकित्सीय और चिकित्सा अनुप्रयोगों में।

Source: PIB

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और संभावित आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए जम्मू शहर में एक स्थायी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) हब स्थापित किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के बारे में

- **विशिष्ट आतंकवाद निरोधी बल:** NSG आतंकवाद से लड़ने और महत्वपूर्ण सुरक्षा स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित एक विशेष बल है।
- **स्थापना:** 1984 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 के तहत बनाया गया।
- **प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण:** केंद्रीय गृह मंत्रालय
- **आदर्श वाक्य:** "सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा" (प्रत्येक स्थान, सर्वोच्च सुरक्षा)
- **संरचना:** NSG में दो मुख्य समूह शामिल हैं:
 - **विशेष कार्रवाई समूह (SAG):** मुख्य रूप से सेना के कर्मियों से बना है।
 - **विशेष रेंजर समूह (SRG):** इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के कर्मी शामिल हैं।
- **मुख्य भूमिकाएँ:** आतंकवाद विरोधी अभियान, अपहरण की स्थितियाँ, बम निरोधक और विस्फोट के बाद की जाँच, वीआईपी सुरक्षा।

Source: TOI

सबल 20 ड्रोन(Sabal 20 Drones)

समाचार में

- सेना को पूर्वी क्षेत्र में तैनाती के लिए एंड्रोरएयर सिस्टम्स से खरीदे गए सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन प्राप्त हुए हैं।

सबल 20 की मुख्य विशेषताएं

- **हेवी-ड्यूटी पेलोड क्षमता:** सबल 20, 20 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, जो इसे आवश्यक आपूर्ति, गोला-बारूद और चिकित्सा उपकरणों के परिवहन के लिए उपयुक्त बनाता है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी:** VTOL (वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग) तकनीक से लैस, ड्रोन सीमित स्थानों और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर सकता है।

- **छिपने की क्षमता:** इसका कम RPM डिज़ाइन न्यूनतम शोर सुनिश्चित करता है, जो इसे गुप्त ऑपरेशन के लिए आदर्श बनाता है।
- **लंबी अवधि तक टिके रहने की क्षमता:** ड्रोन का कुशल डिज़ाइन लंबी उड़ान के समय की अनुमति देता है, जिससे यह लंबी दूरी तय करने और दूरदराज के स्थानों पर आपूर्ति पहुँचाने में सक्षम होता है।

सैन्य रसद पर प्रभाव

- यह ड्रोन दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को महत्वपूर्ण आपूर्ति तेजी से पहुंचा सकता है।
- ड्रोन की VTOL क्षमताएं इसे विभिन्न क्षेत्रों में संचालित करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे लचीलापन और अनुकूलनशीलता मिलती है।

Source: TH

राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार (President's Colours Award)

सन्दर्भ

- थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री की चार बटालियनों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए।

राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार के बारे में

- **सर्वोच्च सैन्य सम्मान:** यह सर्वोच्च सम्मान है जो किसी सैन्य इकाई को दिया जा सकता है।
- **उत्कृष्टता का प्रतीक:** राष्ट्रपति के ध्वज कर्तव्य, व्यावसायिकता और वीरता के प्रति इकाई की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।
- **ऐतिहासिक महत्व:** सैन्य इकाइयों को ध्वज प्रदान करने की परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है।
- भारत ने स्वतंत्रता के बाद इस परंपरा को अपनाया। 27 मई 1951 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए जाने वाली तीनों सेवाओं में से भारतीय नौसेना पहली थी।
- **प्रस्तुति समारोह:** भारत के राष्ट्रपति या थल सेनाध्यक्ष एक भव्य समारोह में इकाई को ध्वज प्रदान करते हैं। ध्वज, जो इकाई के प्रतीक चिन्ह और आदर्श वाक्य वाला एक औपचारिक ध्वज है, राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- **पुरस्कार के लिए मानदंड:** इकाइयों का चयन विभिन्न संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कर्तव्यों में उनके असाधारण प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

Source: PIB

